न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 224 / 2022

प्रार्थीगण

हरजीराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. [illegible] पुत्र धनाराम
2. [illegible] पुत्र हीराराम
3. [illegible] पुत्र पुरखाराम
4. [illegible] पुत्र हीराराम
5. [illegible] पुत्र पुरखाराम
6. [illegible] पुत्र [illegible]
7. [illegible] दत्तक पुत्र [illegible]
8. [illegible] पुत्र हीराराम
9. शिवजीराम पुत्र हीराराम
10. मेहाराम पुत्र [illegible]
11. हीराराम पुत्र उदाराम जातियान जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
12. कमलेश पुत्र अचलदास
13. जसराज पुत्र गुणेशमल
14. पारसमल पुत्र गुणेशमल जातियान महाजन निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
15. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दलाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 01.02.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य **इस प्रकार** है, कि प्रार्थी का खेत मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150 / 117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ

उपखण्ड अधिकारी

आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नही होने से आए दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150/117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3 वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150/117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150/117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150/117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नई कमठाई पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 150/117 रकबा 11.9975 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के

जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 01-02-2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:48 IST
Reason: SelfAttested